



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/3546

दिनांक : 01.08.2016

-:: प्रमाण-पत्र ::-

प्रमाणित किया जाता है कि, शांतिनिकेतन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रतलाम, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय है।

सत्र 2016-17 में महाविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समितिकी बैठक दिनांक 10.06.2016 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक के निर्णयानुसार महाविद्यालयको निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई निम्नानुसार कमियों की पूर्ति पन्द्रह दिवस में पूर्ण करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर सत्र 2016-17 में अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
01.	बी.एड.	100

शर्त :- 01. कोड 28 के तहत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति लम्बित है वर्तमान में चार(4) शिक्षक कोड 28 के तहत चयनित है जो कि, महाविद्यालय में सेवारत है। शेष शिक्षकों की नियुक्ति 15 दिवस में पूर्ण करें।

आदेशानुसार

10/118
प्रो. इंचार्ज (अकादमिक)

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/3547

प्रतिलिपि :-

01. प्राचार्य, शांतिनिकेतन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रतलाम।
02. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
03. क्षेत्रीय अतिरिक्त, संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
04. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, रतलाम।
05. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय, विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
06. समन्वयक, ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
07. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

अनुभाग अधिकारी (अकादमिक)

01/08



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1492

दिनांक :- 07/05/16

--: सूचना :-

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनिचय क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

- A महाविद्यालय का नाम :- शांति निकेतन इंस्टी.ऑफ टेक्नॉ.रतलाम
- B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- (1) बी.एड.
- C समिति के सदस्यों के नाम :-
01. डॉ.ब्रजेन्द्रसिंह चौहान - आचार्य,सतत शिक्षा अ.शा.,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
 02. डॉ.जे.आर.सिंह - आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
 03. डॉ.आर.के.अहिस्वार - विभागाध्यक्ष,प्रा.भा.इ.एवं.परा.सं. अ.शा.,वि.वि.,उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिचय 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वाछि शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाॅफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाॅफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाएं अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की माब्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

10/5/15

प्रो.इं.वार्ज(अकादमिक)

प्रतिलिपि :-

01. समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचित किया जाता है कि, अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन एवं निरीक्षण के दौरान की गई विडीयो ग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध करावे ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जाने की आगामी कार्यवाही की जा सके।
02. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि, संयोजक निरीक्षण समिति से संपर्क कर अविलम्ब महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। यदि निरीक्षण नहीं कराते है तो, सम्बद्धता/निरन्तरता प्रदान करने में हुई विलम्बता के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
03. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय कृपया स्टाफ इन्फ्रस्ट्रक्चर एवं उपलब्ध संसाधनों की जानकारी सी.डी. में अतिवार्यतः निरीक्षण समिति को उपलब्ध करायें जिससे की उच्च शिक्षा विभाग, के निर्देशानुसार उक्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा सके।
04. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन। की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनाय प्रेषित।


 अनुभाग अधिकारी(अकादमिक)